न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 107 / 2022

प्रार्थीगण :—

1. नगाराम पुत्र निम्बाराम
   जाति जाट निवासी कलासर तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. मानाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी कलासर
2. खेराजराम पुत्र रूगाराम
3. चुतराराम पुत्र रूगाराम
4. चेतनराम पुत्र रूगाराम
5. गोमाराम पुत्र रूगाराम
   जाति जाट निवासी दूदासर तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार नौखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 23.08.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2075—2078 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा कलासर पटवार क्षेत्र गोलिया जैतमाल के खेत खसरा नम्बर 300 रकबा 1.5459 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि [illegible] नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों [illegible] विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्की नेखम स्थापित [illegible] में कोई आपत्ति [illegible] नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का [illegible]स्व अभिलेख में खाते[illegible]र्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:53:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति मे विवादित खसरा सरहद मौजा कलासर पटवार क्षेत्र गोलिया जैतमाल के खेत खसरा नम्बर 300 रकबा 1.5459 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखड़ा को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखड़ा को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी रावलीनाडी नगर/ SHO गुडामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23/8/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:53:58 IST
Reason: SelfAttested